न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/68

प्रकरण संख्या 21/22

अनवान

1. श्री मांगीलाल पिता वरदा जी खटीक निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. भूमिधारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार सा0 तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :– दिनांक :–27.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड चक ए पटवार क्षेत्र कानोड तहसील कानोड जिला उयपपुर की खाता संख्या नया 635 आराजी नम्बर 1161 किता 1 रकवा 0.5400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के साविक आराजी नम्बर 449/3 श.नं. 448, 449/6 श.नं. 448 कुल किया 2 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा भूमि हैं, जिसके नवीन आराजी नम्बर 1161 रकबा 0.5400 हैक्टेयर बनें। वर्णित आराजी कृषि भूमि जिसके साविक आराजी नम्बर 449/3 श.नं. 448, 449/6 श.नं. 448 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित थी जबकि नवीन सेटलमेंट में साबिक आराजी 449/6 श.नं. 448 रकबा0.12 बिस्वा भूमि का सेहवन से अंकन नहीं करते हुए नवीन जमाबंदी में मात्र साबिक आराजी नम्बर 448 श.नं. 449/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही अंकन करते हुए नवीन जमाबंदी जारी कर दी गई ऐसी स्थिति में प्रार्थी की नवीन जमाबंदी आराजी नम्बर 1161 में साविक आराजी नम्बर 449/6 शं.नं. 448 रकबा 0.12 विस्वा भूमि का अंकन कराये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर इसे दुरस्त कराये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

I. यह है कि राजस्व ग्राम कानोड चक ए पटवार मण्डल कानोड जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 635 खसरा नम्बर 1161 कुल रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में गोटीया, मांगीलाल, मंजू, लक्ष्मी, शान्ति पिता वरदा खटीक सा. देह के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:52 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

II. गत सेटलमेंट के खसरा नम्बर 449/6 शा.नं. 448 रकबा 2–10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 449/3 शा.नं. 448 रकबा 0–12 बीघा कुल किता 2 रकबा 3–02 यानि 0.67 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड थी। नवीन सेटलमेंट में खसरा संख्या 449/3 शा.नं. 448 रकबा 2.–10 बीघा का नया खसरा संख्या 1161 रकबा 0.54 हैक्टेयर बना जो खातेदार के नाम दर्ज है जबकि खसरा संख्या 449/6 शा.नं. 448 रकबा 0–12 बीघा भूमि नवीन जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड नहीं है।

III. यह कि मौका अनुसार राजस्व नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1161 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1162 रकाब 0.13 हैक्टेयर स्थिति है जो राजकीय बिलानाम भूमि होकर खातेदार की भूमि से सटी हुई है जबकि पश्चिम में तहसील डुंगला की भूमि पूर्व व दक्षिण दिशा में अन्य लागो की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

IV. गत सेटलमेंट में खसरा संख्या 449/6 शा.नं. 448 रकबा 0–12 बीघा भूमि खतेदार के नाम दर्ज थी जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नहीं है। नवीन जमाबंदी में खातेदार की भूमि खसरा संख्या 1161 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि से सटा होकर बिलानाम खसरा संख्या 1162 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त कम हुई भूमि की क्षतिपूर्ति बिलानाम आराजी 1162 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी खातेदार गोटिया, मंजू, मांगीलाल, लक्ष्मीबाई, शांतिबाई पिता वरदा खटीक सा. देह के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

उपखण्ड अधिकारी, भींडर जिला-उदयपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम कानोड चक ए पटवार मण्डल कानोड खाता नम्बर 852 खसरा नम्बर 449/3 शा.नं. 448, 449/6 शा.नं. 448 किता 2 कुल रकबा 3–02 बीघा दर्ज थी जिसके नवीन आराजी नम्बर 1161 है रकबा 0.5400 हैक्टेयर है। गत सेटलमेंट के खसरा नम्बर 449/6 शा.नं. 448 रकबा 12 बिस्वा नवीन रेकर्ड में दर्ज नहीं है। गत सेटलमेंट से नवीन सेटलमेंट में खातेदारी की भूमि कम हो गई है। तहसीलदार कानोड द्वारा आराजी नं. 1162 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:52 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 449/6 शा.नं. 448 रकबा 0.12 बिस्वा भूमि का अंकन नही हुआ है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा नवीन सेटलमेंट की त्रुटि को सुधारा जाना प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 1162 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि खातेदार गोटिया, मंजू, मांगीलाल, शांतिबाई, लक्ष्मीबाई पिता वरदा खटीक के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 27.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:52 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner